

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ2(6358)सूप्रौ/संस्था/14/01241/2018

जयपुर, दिनांक
18/06/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं.	मैरिट नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	141	चन्द्रशेखर गर्ग	कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018, RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018, INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB)
2	187	चन्द्रकान्त शर्मा	कार्यालय एसोपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-सांभर, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
3	424	आस्था शर्मा	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	RAS/RTS COMB. EXAM-2018, GROUP INSTRUCTOR/SURVEYOR/ASSISTANT APPR. ADVI. GR. II EXAM-2018(RPSC)
4	550	ओम नाथ	कार्यालय एसोपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-हनुमानगढ़, हनुमानगढ़	VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
5	709	अभिज्ञान सेन	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड	VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
6	788	आदित्य रमण आढा	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खारची, पाली	COPA EXAM-2018, INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
7	864	आरिफ मोहम्मद	कार्यालय राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018, VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC), JUNIOR INSTRUCTOR COPA EXAM-2018(RSMSSB) AND RAJYA SABHA SECRETARIATE ASS. LEGIS./COMMITTEE/EXECUTIVE OFFICER COMP. EXAM-2018
8	960	अजय कुमार गर्ग	कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND UGC NET EXAM-2018(CBSE)
9	1468	अजय कुमार जाट	कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018, COPA EXAM-2018, INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND CGL EXAM-2018(SSC)
10	2007	अजय कुमार सेन	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एस. डी.एम) जैतारण, पाली	RAS/RTS COMB. EXAM-2018, SUB INSPECTOR EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND CGL EXAM-2018(SSC)
11	2028	अंकिता यादव	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अलवर	COPA EXAM-2018(RSMSSB), VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT EXAM-2018(RPSC)
12	2655	अर्पिता पाल	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर	CGL EXAM-2018(SSC), RAS/RTS COMB. EXAM-2018, ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), WOMEN SUPERVISOR EXAM-2018, TAX ASSISTANT EXAM-2018(RSMSSB)
13	2934	चित्रलेखा जैन	कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC)
14	2963	अर्चना कुमार वर्मा	कार्यालय विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय(प्र.नि.अधि.) अजमेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018, VICE PRINCIPAL /SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018, INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018 AND WOMEN SUPERVISOR

15	3681	चन्द्रकान्ता राठौड	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
16	3908	चित्रा पीपलीवाल	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय, जयपुर	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC) AND JUNIOR INSTRUCTOR COPA EXAM-2018(RSMSSB)
17	4028	अर्चना सैनी	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018, ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018 AND VICE PRINCIPAL/ SUPERINTENDENT EXAM-2018(RPSC)
18	4092	अभिलाषा	कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, झुन्झुनू	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
19	4093	वंचल सोनी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-रायपुर, पाली	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)

उक्त सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबधित कर्मचारी.....
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. संबधित निजी /रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष